संख्या:12/2025/482पू0वि0नि0/35-1-2025/35-4099/97/2022

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त,
   प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।
3. जिलाधिकारी,
   प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, भदोहीं, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 12 मार्च, 2025

विषयः संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यांश से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को सुस्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2022/1115/717/35-1-2022 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यांश के सापेक्ष कतिपय अपरिहार्य संशोधन किये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के प्रस्तर 7.4 में नियोजन विभाग द्वारा परियोजनाओं पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग की संस्तुति कतिपय 06 बिन्दुओं पर प्राप्त किये जाने का उल्लेख है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निम्नवत प्रशासकीय विभाग होंगे:-

क्र.	**विकास कार्य मद**	**प्रशासकीय विभाग**
1	सड़क, पुल, पुलिया निर्माण कार्य	लोक निर्माण विभाग
2	सामुदायिक भवन/सामुदायिक केन्द्र/विवाह भवन	पंचायती राज विभाग
3	जल निकासी से सम्बन्धित कार्य	नगर विकास/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
4	चेकडैम	लघु सिंचाई विभाग
5	प्रकाश व्यवस्था	ऊर्जा विभाग/ नगर विकास
6	जलापूर्ति से सम्बन्धित कार्य	नगर विकास / नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
7	मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य	खेल विभाग
8	पूंजीगत प्रकृति के अन्य कार्य जो मार्गदर्शी सिद्धान्तों से प्रतिबन्धित नहीं हैं।	कार्य से सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. उक्तवत इंगित कार्यों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख अंकित प्रशासकीय विभागों द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के प्रस्तर-7.4 में इंगित संस्तुति से सम्बन्धित 06 बिन्दुओं पर अपेक्षित संस्तुति उक्त प्रशासकीय विभागों द्वारा नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09 नवम्बर, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या: 12/2025/482पू0वि0नि0(1)**/35-1-2025/35-4099/97/2022 तददिनांक**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
5- प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
7- समस्त अनुभाग, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
9- सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1
10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
11- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त राजकीय कार्यदायी संस्थाए, उत्तर प्रदेश।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शैलेश कुमार तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।